न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –02/2022
दायर दिनांक –13.01.2022
निर्णय दिनांक –20.05.2022
जीसीएमएस नं0 –2022/2

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. जसवंत सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1.श्री भींयाराम चौधरी, प्रार्थी, अधिवक्ता
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नं0 178, 179, 181, 182, 183, 184, 188/1937 कुल खसरे 07 कुल रकबा 14.32 हैक्ट0 में से मूल खातेदार श्री विक्रम सिंह पुत्र तेजसिंह, ममता कंवर एवं गुड्‌डी कंवर पुत्रियां तेजसिंह, सुरेंद्र सिंह व नाथूसिंह पिसरान तेजसिंह जाति राजपूत के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र [illegible] किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर [illegible] किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार, पुष्[illegible]/रा./तह.पुष्कर/कोर्ट/[illegible]/677 दिनांक 09.03.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर [illegible]स्तुत जवाब प्रार्थना–[illegible] कथन किया कि "ग्राम नांद के वर्किंग खाता सं0 68 पुराना 131 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:28 IST
Reason: SelfAttested

20/5/22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अपठनीय है तथा उक्त रिपोर्ट नामान्तरकरण सं0 631, 764 अनुसार तैयार की गयी है। प्रार्थना पत्र में बिंदु सं0 1 में वर्णित खसरा नंबर 199, 200, 203 मिन, 205, 206, 215, 216, 214, 207, 208, 209, 210 कुल किता 12 के आधार संवत् 2065–84 अनुसार मिलान नये नंबर 178, 179, 181, 182, 183, 184, 188/1937, 189/2115, 190/2116, 191/2117, 219, 220 बने है। नामान्तरकरण सं0 631 विरासत 25.03.06 से मृतक तेजसिंह के बजाय विक्रमसिंह सुरेंद्र सिंह नाथूसिंह पि. तेजसिंह ममता कंवर गुड्डी कंवर पुत्रियां तेजसिंह राजपूत का अंकन स्वीकार हुआ तथा नामान्तरकरण सं0 764 बेचान द्वारा 21.08.07 से विक्रम सिंह पुत्र तेजसिंह ममता कंवर गुडडी कंवर पुत्रिया तेजसिंह राजपूत हिस्सा 1/200 के बजाय क्रेता जसवंतसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत हि. 1/200 सा. देह अंकन स्वीकार हुआ। किन्तु नयी राजस्व रिकॉर्ड आधार जमाबंदी 2065–84 के खाता सं0 244 पर सेटलमेंट विभाग द्वारा मूल खातेदार का अंकन है। राजस्व वाद सं0 02/2022 के साथ संलग्न रजिस्ट्री क्रमांक 854/07 दिनांक 17.08.2007 का राजस्व रिकॉर्ड में आदि दिनांक तक नामान्तरकरण नहीं हुआ है तथा नामान्तरकरण सं0 764 बेचान 21.08.2007 से खातेदार विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह ममता कंवर गुडडी कंवर पुत्रिया तेजसिंह राजपूत का हिस्सा का नामान्तरकरण द्वारा जसवंत सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत को बेचान हुआ है अर्थात् नामान्तरकरण सं0 764 का अमल शेष है। बिन्दु सं0 4 व 5 माननीय न्यायालय से संबंधित है। अतः उपरोक्त बिन्दु सं0 2 व 3 के सन्दर्भ में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी 2072–75 वर्ष 2018 से स्थायी खसरा सं0 178, 179, 181, 182, 183, 184, 188/1937, 189/2115, 190/2116, 191/2117, 219, 220 पर विक्रम सिंह पुत्र तेजसिंह ममता कंवर गुड्डी कंवर पुत्रिया तेजसिंह शाखा गनाहेड़ा से कृषि ऋण का अंकन जमाबंदी में है। अतः धारा 136 अनुसार नामान्तरकरण सं0 764 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रहनमुक्त बाद दुरूस्त किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल [illegible] दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम नांद तहसील पुष्कर [illegible] कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा सं0 178, 179, [illegible] 188/1937, 189/2115, 190/2116, 191/2117, 219, 220 में प्रार्थी का [illegible] दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:28 IST
Reason: SelfAttested

20/5/22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा सं0 178, 179, 181, 182, 183, 184, 188/1937, 189/2115, 190/2116, 191/2117, 219, 220 पर विक्रम सिंह पुत्र तेजसिंह ममता कंवर गुड्डी कंवर पुत्रिया तेजसिंह के स्थान पर नामान्तरकरण सं0 764 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में **रहनमुक्त बाद** जसवंतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत दुरूस्त किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:28 IST
Reason: SelfAttested

20/5/22

सुखाराम पिण्डेल
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)